भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1414

जिसका उत्तर दिनांक 04.07.2019 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन

1414. डॉ. आर. लक्ष्मणन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में परमाणु संसाधनों के माध्यम से कुल बिजली उत्पादन केवल 2.93 प्रतिशत है;

(ख) यदि हाँ, तो इतने कम योगदान के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी को कुल बिजली उत्पादन का 10 प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) देश के सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में लगभग 2.93% थी ।

(ख) देश के कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय हिस्सेदारी लगभग 3% रही है । कम हिस्सेदारी का मुख्य कारण निम्न संस्थापित क्षमता बेस रहा है । निम्न क्षमता बेस के कारण हैं :

(i) प्रौद्योगिकी विकास और अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबंध स्थिति जो 1974 से 2008 तक बनी रही । परिणामस्वरूप, ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों सहित सभी नाभिकीय विद्युत प्रौद्योगिकियों का विकास देश के अंदर करना पड़ा, अत: इसमें समय लग गया ।

(ii) पहले दो दशकों के दौरान एक और बाधा यह थी कि वित्तीय संसाधन पूरी तरह से बजटीय सहायता पर निर्भर थे । तथापि, पूर्व की बाधाएं अब दूर कर ली गई हैं और नाभिकीय कार्यक्रम तेज़ी से विस्तार की ओर अग्रसर है ।

(ग) से (ङ) नाभिकीय विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने नाभिकीय विद्युत क्षमता बढ़ाने और पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं । जो निम्नानुसार हैं :

(i) नाभिकीय क्षति हेतु असैन्य दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी) और भारतीय नाभिकीय बीमा पूल के सृजन (आईएनआईपी) से संबंधित मुद्दों का समाधान ।

(ii) फ्लीट मोड में स्थापित किए जाने वाले दस (10) स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) और रूसी परिसंघ के सहयोग से स्थापित किए जाने वाले साधारण जल रिएक्टरों (एलडब्ल्यूआर) की दो (2) यूनिटों को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करना ।

(iii) परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करना जिससे नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम सम्भव हो सके ।

(iv) ईंधन की आपूर्ति सहित नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के लिए विदेशी देशों के साथ समर्थकारी करार ।

******